

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 5425

गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सबेया हवाई क्षेत्र/विमानपत्तन का पुनरुद्धार

5425. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सबेया (हथुआ) विमानपत्तन/हवाई क्षेत्र पर वाणिज्यिक व्यवहार्यता और यातायात की भारी मांग है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त विमानपत्तन/ हवाई क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त हवाई क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए टर्मिनल भवन के डिजाइन को अनुमोदित करने हेतु की गई पहल का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त विमानपत्तन के आकलन हेतु कोई दल भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त हवाई क्षेत्र में छोटे विमानों द्वारा प्रचालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए इसके पुनरुद्धार हेतु कोई बजट अनुमोदित/जारी नहीं किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने उक्त हवाई क्षेत्र के आरसीएस-उड़ान योजना में शामिल होने के बाद से अब तक इसके पुनरुद्धार के लिए कोई कार्य योजना आरंभ की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) से (छ): 'उड़ान' योजना के लिए अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल हवाईअड्डा, जिसे 'उड़ान' परिचालन शुरू करने के लिए उन्नयन/ विकास की आवश्यकता होती है, उसका विकास 'असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार' योजना के तहत किया जाता है। हवाईअड्डे के विकसित और तैयार हो जाने पर, चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) इन हवाईअड्डों को जोड़ने वाले अवार्डिड 'उड़ान' मार्गों पर परिचालन शुरू करते हैं।

बिहार की सबेया (हथुआ) हवाईपट्टी, 'उड़ान' योजना दस्तावेज में असेवित हवाईअड्डों की सूची में शामिल है। अब तक आयोजित बोली प्रक्रिया के पाँच दौरों के पूरा होने तक किसी भी एयरलाइन बोलीदाता ने सबेया (हथुआ) हवाईअड्डे से आरसीएस उड़ान परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। यदि कोई एयरलाइन बोली प्रक्रिया की भावी दौरों में सबेया हवाईपट्टी से जुड़े मार्गों के लिए बोली प्रस्तुत करती है, तो उस पर 'उड़ान' योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।
